

राजस्थान आवासन मण्डल :: जयपुर।

(6)


क्रमांक :-प1(1)कार्मिक/पेशनर्स चिकि/06/ 314

दिनांक:- 5/5/08

कार्यालय आदेश


राजस्थान आवासन मण्डल सेवा निवृत्त कर्मचारी/अधिकारी चिकित्सा राहत कोष नियमावली 2005 के अन्तर्गत सेवानिवृत्त आवासन मण्डल कर्मचारी/अधिकारी की चिकित्सा सुविधाओं में विस्तार करते हुए संतोकबा दुर्लभजी मेमोरियल हॉस्पिटल (एस डी एम एच), बापू नगर, जयपुर को मण्डल द्वारा निर्धारित सामान्य शर्तों के अन्तर्गत सेवानिवृत्त मण्डल कार्मिकों के चिकित्सा उपयोग हेतु एतद्वारा अधिकृत किया जाता है।

उक्त आदेश को माननीय अध्यक्ष महोदय का अनुमोदन प्राप्त है तथा बोर्ड अनुमोदन की पूर्व अपेक्षा में जारी किया जाता है।


सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. प्रमुख निजी सचिव- अध्यक्ष, /आवासन आयुक्त राज0आवा0मण्डल, जयपुर
2. निजी सचिव-मुख्य अभियंता, राजस्थान आवासन मण्डल जयपुर।
3. व0नि0स0सचिव/वि0स0 एवं मुख्यलेखाधिकारी, राज0आ0मण्डल, जयपुर।
4. अति0 मुख्य अभियंता राज0आ0मण्डल,.....।
5. वरिष्ठ लेखाधिकारी(पेंशन), राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
6. सन्तोकबा दुर्लभजी मेमोरियल हॉस्पिटल बापू नगर जयपुर।
7. उप आवासन आयुक्त वृत्त..... राज0आ0मण्डल,.....।
8. आवासीय अभियंता खण्ड..... राज0आ0मण्डल,.....।
9. नोटिस बोर्ड/रक्षित पत्रावली।


सचिव